

सिनेमाटोग्राफ फिल्मों और अन्य फिल्मों का आयात करने की नीति

भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग-I, खण्ड-I)

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

सार्वजनिक सूचना संख्या 64/1997-2002

नई दिल्ली : 29 जनवरी, 2002

विषय : सिनेमाटोग्राफ फिल्मों और अन्य फिल्मों (वीडियो टेप, काम्पैक्ट वीडियो डिस्क, लेजर वीडियो डिस्क अथवा डिजीटल वीडियो डिस्क पर फिल्मों सहित) का आयात करने की नीति।

दिनांक 13.03.1997 के एस.ओ. संख्या 283 (ई) के जरिए भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में यथा-अधिसूचित आयात और निर्यात नीति, 1997-2002 के पैरा 4.11 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 31.03.1997 की सार्वजनिक सूचना संख्या 4 (पीएन)/9702 का अधिक्रमण करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्वारा सिनेमाटोग्राफ फिल्मों और अन्य फिल्मों (वीडियो टेप, काम्पैक्ट वीडियो डिस्क, लेजर वीडियो डिस्क अथवा डिजीटल वीडियो डिस्क पर फिल्मों सहित) का आयात करने की नीति को अधिसूचित करते हैं।

- (i) बिना किसी लाइसेंस के सिनेमाटोग्राफ फीचर फिल्मों तथा अन्य फिल्मों (वीडियो टेप, काम्पैक्ट वीडियो डिस्क, लेजर वीडियो डिस्क अथवा डिजीटल वीडियो डिस्क पर फिल्मों सहित) का आयात करने की अनुमति होगी।
- (ii) फिल्म का आयात करने वाला सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत निर्धारित सार्वजनिक प्रदर्शनी का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा सहित फिल्मों के वितरण और प्रदर्शन को अभिशासित करने वाले सभी भारतीय कानूनों का अनुपालन करेगा।

- (iii) किसी अप्राधिकृत/पाइरेटिड फिल्म के आयात पर रोक होगी।
- (iv) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना भारतीय फिल्मों के पुनः तैयार किए गए विदेशी प्रिंटों के आयात की अनुमति नहीं होगी।
- (v) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार यदि इस बात से संतुष्ट होती है कि जनहित में ऐसा किया जाना अनिवार्य अथवा प्रासंगिक है तो वह उपर्युक्त अपेक्षाओं से छूट प्रदान कर सकती है अथवा इनमें कमी कर सकती है।

इसे जनहित में जारी किया गया है।

ह0/-

(एन.एल. लखनपाल)
विदेश व्यापार महानिदेशक

प्रतिलिपि सभी संबंधितों को।
आदेश इत्यादि द्वारा।

ह0/-

(विदेश व्यापार महानिदेशक)